

मध्यप्रदेश शासन  
वित्त विभाग  
वल्लभ भवन-मंत्रालय-भोपाल

क्रमांक एफ -9-2/2010/नियम/चार  
प्रति,

भोपाल, दिनांक 13 सितम्बर, 2010

शासन के समस्त विभाग,  
मध्यप्रदेश

विषय:-सेवा निवृत्त कर्मचारियों को विभागीय जांच के उपरत पेंशन में कटौती।

म.प्र.सिविल सेवाएं (पेंशन) नियम, 1976 के नियम 9 के तहत पेंशनरों द्वारा उनकी सेवा के दौरान जिसमें सेवानिवृत्ति के पश्चात पुनर्नियुक्ति पर की गयी सेवा भी शामिल है, किये गये गंभीर दुराचरण अथवा लापरवाही का दोषी किसी विभागीय अथवा न्यायालयीन कार्यवाही में पाये जाने पर उनके पूर्ण पेंशन या उसके किसी अंश के स्थायी रूप से अथवा किसी भी निश्चित अवधि के लिये रोकने अथवा वापस लेने एवं उक्त दुराचरण अथवा लापरवाही के कारण शासन को पहुंचाई गई हानि के पूर्णतः या अंशतः वसूल करने के प्रावधान हैं। उक्त नियम के परंतुक में यह भी प्रावधानित है कि जहां पेंशन का कोई अंश रोका अथवा वापस लिया जाता है, वहां यह सुनिश्चित किया जाना चाहिये कि शेष पेंशन की राशि शासन द्वारा समय-समय पर निर्धारित न्यूनतम पेंशन की राशि से कम न हो।

2/ कई विभागों द्वारा उक्त प्रावधानों की गलत व्याख्या करते हुए कार्यवाही किये जाने की बात शासन के ध्यान में आयी है। यह भी देखने में आया है कि कई विभाग उक्त प्रावधानों के तहत कार्यवाही करते समय प्रकरण की गंभीरता को नजरअंदाज करते हुए मात्र औपचारिकता निभाने के उद्देश्य से पेंशन के एक अल्प अंश को अत्यंत ही अल्पावधि हेतु रोकने अथवा वापस लेने हेतु या शासन को पहुंचाई गई हानि की पूर्ण वसूली के बजाय आंशिक वसूली के प्रस्ताव मंत्रिपरिषद के समक्ष ले आते हैं। यह उक्त नियम के प्रावधानों के अनुरूप नहीं है।

3/ उपरोक्त के आलोक में शासन के समस्त विभागों का ध्यान इस ओर आकर्षित किया जाता है कि मध्यप्रदेश सिविल सेवाएं (पेंशन) नियम, 1976 के नियम 9 के उल्लेखित प्रावधान गंभीर दुराचरण अथवा लापरवाही के प्रकरणों में लागू होते हैं। ऐसे गंभीर प्रकृति के प्रकरणों में विभागों से यह अपेक्षित है कि वे इनको पूरी संजीदगी से लेते हुए प्रकरण की प्रकृति की गंभीरता के अनुसार ही पेंशन या उसके किसी अंश को रोकने, वापस लेने या उससे शासन को पहुंचाई गयी हानि की वसूली हेतु कार्यवाही करें। ऐसे प्रकरणों में प्रशासकीय विभागों द्वारा खानापूर्ति हेतु या औपचारिकतावश पेंशन के एक अल्प अंश को अत्यंत ही अल्पावधि हेतु रोकने अथवा वापस लेने या शासन को पहुंचाई गयी हानि की ब्याज सहित पूर्ण वसूली के बजाय आंशिक वसूली की कार्यवाही किया जाना सर्वथा अनुचित है।

4/ अतएव उक्त प्रावधानों के अनुसार मंत्रिपरिषद को प्रस्तुत किये जाने वाले प्रकरण में निम्नानुसार कार्यवाही किये जाने का अनुरोध है:-


(क) सेवानिवृत्त शासकीय सेवकों के पेंशन रोकने या वापस लेने संबंधी प्रस्ताव तैयार करते समय संबंधित शासकीय सेवक द्वारा किये गये दुराचरण अथवा लापरवाही की प्रकृति का पूर्ण ध्यान रखा जाना चाहिये और उसके अनुसार ही पूर्ण या आंशिक रूप से पेंशन रोकने अथवा वापस लेने हेतु प्रस्ताव तैयार किया जाना चाहिये।

(ख) जहां तक संभव हो, पेंशन आंशिक या पूर्ण रूप से स्थायी रूप से ही रोकने या वापस लेने हेतु प्रस्तावित किया जाना चाहिये। यदि किन्हीं कारणों से पेंशन अस्थायी रूप से रोकना या वापस लेना आवश्यक समझा जाता है, तब उन कारणों का स्पष्ट उल्लेख किया जाना आवश्यक होगा।

(ग) ऐसे प्रकरणों में जहां शासकीय सेवक द्वारा किये गये गंभीर दुराचरण अथवा लापरवाही के कारण शासन को हानि पहुंचाई गयी है, उन प्रकरणों में अनिवार्यतः यह सुनिश्चित किया जाना चाहिये कि उक्त हानि की वसूली हेतु प्रस्तावित करते समय पेंशन से वसूली की दर इस प्रकार निर्धारित की गयी हो कि शासन को संबंधित शासकीय सेवक द्वारा पहुंचाई गयी हानि (राज्य शासन द्वारा समय समय पर अग्रिमों हेतु निर्धारित ब्याज सहित) की पूर्ण वसूली उनके 70 वर्ष की आयु होने तक हो सके। यदि किसी प्रकरण में उक्तानुसार निर्धारित राशि की पूर्ण वसूली संबंधित शासकीय सेवक की पेंशन से संभव न हो तो शेष राशि के लिये, पेंशन में कमी के आदेश के समय ही, सिविल वाद भी दायर कराना चाहिये।

(घ) ऐसे प्रकरणों में जहां पेंशन के किसी अंश को रोका जाना है, यह ध्यान में रखा जाना आवश्यक है कि संबंधित को न्यूनतम पेंशन आवश्यक रूप से प्राप्त हो।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा  
आदेशानुसार,



(जी.पी.सिंघल)


प्रमुख सचिव,

म.प्र.शासन, वित्त विभाग

प्रतिलिपि:-

1. राज्यपाल मध्यप्रदेश के सचिव, राजभवन भोपाल
2. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश, विधानसभा, भोपाल
3. निबंधक, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर
4. सचिव, मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री सचिवालय, भोपाल
5. सचिव, लोक सेवा आयोग, इंदौर
6. सचिव, लोक आयुक्त, मध्यप्रदेश, भोपाल
7. निज सचिव / निज सहायक मंत्री/राज्यमंत्री, मध्यप्रदेश शासन, भोपाल
8. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, मध्यप्रदेश, भोपाल
9. सचिव राज्य निर्वाचन आयोग, मध्यप्रदेश, भोपाल
10. रजिस्ट्रार, मध्यप्रदेश राज्य प्रशासनिक न्यायाधिकरण भोपाल/जबलपुर/इंदौर/ग्वालियर ।
11. महाधिवक्ता/उप महाधिवक्ता, मध्यप्रदेश भोपाल/इंदौर/ग्वालियर ।
12. महालेखाकार (लेखा और हकदारी)/(आडिट)-1/2 मध्यप्रदेश ग्वालियर/ भोपाल ।
13. अध्यक्ष व्यावसायिक परीक्षा मंडल /माध्यमिक शिक्षा मंडल, मध्यप्रदेश भोपाल ।
14. प्रमुख सचिव / सचिव /उप सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, भोपाल
15. आयुक्त, जनसम्पर्क संचालनालय, मध्यप्रदेश भोपाल
16. नियंत्रक शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल की और राजपत्र में प्रकाशन के लिए,
17. अवर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग (लेखा शाखा/अधीक्षण शाखा/अभिलेख/मुख्य लेखाधिकारी ) मंत्रालय, भोपाल
18. मुख्य सचिव के स्टाफ आफिसर मंत्रालय, भोपाल
19. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन मध्यप्रदेश
20. सभी प्राचार्य, लेखा प्रशिक्षण शाला, मध्यप्रदेश
21. संयुक्त संचालक, जनसंपर्क प्रकोष्ठ, मंत्रालय, भोपाल
22. अध्यक्ष, मध्यप्रदेश राज्य कर्मचारी कल्याण समिति कक्ष-84, मंत्रालय, भोपाल
23. अध्यक्ष, शासन के समस्त मान्यता प्राप्त कर्मचारी संगठन / संघों
24. सभी कोषालय अधिकारी /उप कोषालय अधिकारी
25. गार्ड फाईल

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही के लिये अग्रेषित ।

  
(अजय चौबे)

अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग

